संख्या:103/2022/1901/12-2-2022-01/2019 टी.सी.

प्रेषक,

डॉ0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2. कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक: 26 दिसम्बर, 2022

विषय: एफ.पी.ओ. शक्ति पोर्टल पर पंजीकृत कृषक उत्पादक संगठनों के परफार्मेंस आधारित वर्गीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा कृषकों की आय में वृद्धि के उददे्श्य से कृषक उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। केन्द्र सरकार की पूरे देश में 10,000 कृषक उत्पादक संगठन गठित करने की योजना के अन्तर्गत प्रदेश में केन्द्र सरकार द्वारा नामित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कृषक उत्पादन संगठन गठित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार की आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के अन्तर्गत भी कृषक उत्पादक संगठनों का गठन प्रक्रियाधीन है। कतिपय संगठन स्वप्रेरणा से गठित हुए हैं। विभिन्न माध्यम से गठित कृषक उत्पादक संगठनों का पंजीकरण कृषि विभाग द्वारा संचालित एफ0पी0ओ0 शक्ति पोर्टल पर किया गया है।

2. राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं व कृषि से संबंधित गतिविधियों में कृषक उत्पादक संगठनों की भूमिका को महत्व दिया गया है एवं कन्वर्जेंस की नीति के अन्तर्गत केन्द्र व राज्य पोषित योजनाओं में इनको वरीयता भी दी जा रही है। उदाहरणार्थ:-

(i) मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के अन्तर्गत फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना,
(ii) कृषि अवस्थापना निधि के अन्तर्गत पोस्ट हार्वेस्ट अवस्थापना हेतु प्राप्त ऋण पर 3 प्रतिशत ब्याज का अतिरिक्त अनुदान,
(iii) केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत बीज विधायन संयंत्र स्थापित करना,
(iv) मण्डी परिषद के अधीन वरीयता लाइसेंस दिया जाना एवं उपलब्धता के आधार पर बिना नीलामी प्रक्रिया के दुकानों का आवंटन करना,
(v) उत्तर प्रदेश बीज निगम द्वारा प्रमाणित बीज का क्रय,
(vi) न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान, गेहूँ, मक्का, बाजरा, दलहन, तिलहन के फसलों पर क्रय केन्द्र स्थापित किया जाना,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(vii) उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति के अन्तर्गत कृषक उत्पादक संगठन द्वारा गठित निर्यात क्लस्टर पर प्रोत्साहन।

3. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि समस्त कृषक उत्पादक संगठनों को इस प्रकार प्रोत्साहित किया जाए कि वह शासन की नीतियों के अन्तर्गत सिर्फ अनुदान का लाभ लेने के उददे्श्य से ही पंजीकृत न हों, बल्कि उनके सदस्य कृषकों को इनपुट टैक्नोलॉजी प्रसार तथा पोस्ट हार्वेस्ट का व्यापक लाभ देने के उददे्श्य से सक्रियतापूर्वक कार्य करें, जिससे इस अभियान के मूल उद्देश्यों की पूर्ति सक्रिय रूप से हो सके।

4. तत्क्रम में शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि विभाग द्वारा संचालित पारदर्शी किसान पोर्टल के माध्यम से जो भी एफ0पी0ओ0 विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन करते हैं, उनका एफ0पी0ओ0 शक्ति पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य होगा। पोर्टल पर उनके द्वारा जायद/रबी/खरीफ फसल चक्र के उत्पाद का विवरण, विभिन्न योजनाओं से प्राप्त अवस्थापना एवं पोस्ट हार्वेस्ट का विवरण अनिवार्य रूप से पोर्टल पर दर्ज किया जाना है। इस कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने हेतु संबंधित संगठनों के पदाधिकारियों/ सी0ई0ओ0 का प्रशिक्षण भी समय-समय पर आयोजित किया गया है एवं संबंधित विकास खण्ड के तकनीकी सहायकों को इस कार्य में सहायता हेतु आबद्ध भी किया गया है।

5. इसी क्रम में अब शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि एफ0पी0ओ0 शक्ति पोर्टल पर पंजीकृत संगठनों का उनके परफॉर्मेंस के आधार पर मूल्यांकन करते हुए उनकी रेटिंग भी की जाएगी। यह कार्य कृषि विभाग के अधीन गठित एफ0पी0ओ0 सेल द्वारा कराया जाएगा। इस रेटिंग प्रक्रिया के उद्देश्य निम्नवत होंगे:-

(i) यह ज्ञात करना कि कौन से संगठन सक्रियता से कार्य कर रहे हैं और कौन से संगठन अपेक्षा से कम सक्रिय हैं या निष्क्रिय हैं।

(ii) एफ0पी0ओ0 के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना जिससे कम सक्रिय संगठन भी अपने कृषि संबंधित गतिविधियों का विस्तार करके बेहतर रेटिंग बनाने का प्रयास करें।

(iii) रेटिंग के मानक इस प्रकार होंगे, जिससे एफ0पी0ओ0 अधिक से अधिक कृषकों को सदस्य बनाते हुए लाभ का विस्तार करने हेतु प्रोत्साहित हों।

(iv) पोर्टल पर रेटिंग आने से सक्रिय संगठनों के साथ व्यापार/बीज का क्रय करने में इच्छुक संस्थाओं/निर्यातकों को सुविधापूर्वक सम्पर्क करने में सहायता मिलेगी।

6. परफॉर्मेंस रेटिंग का क्राइटेरिया/मानक निम्नवत होंगे:-

(i) एफ0पी0ओ0 के निदेशक मण्डल में महिला सदस्यों की संख्या,

(ii) एफ0पी0ओ0 के अन्तर्गत कुल कृषकों की संख्या,

(iii) कुल पंजीकृत सदस्यों में महिला कृषकों का प्रतिशत,

(iv) क्या गत वित्तीय वर्ष में शेयर धारकों को संगठन द्वारा लाभांश दिया गया है अथवा नहीं,

(v) गत वर्ष का वार्षिक टर्न ओवर,

(vi) एफ0पी0ओ0 के पास विभिन्न इनपुट/आउटपुट सेवाओं के लाइसेंस प्राप्त करना,

(vii) एफ0पी0ओ0 द्वारा कोई मूल्यवर्धन/प्रसंस्करण इकाई स्थापित किया जाना,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(viii) संगठन द्वारा कृषि अवस्थापना निधि के अन्तर्गत ऋण स्वीकृत कर परियोजना का क्रियान्वयन किया जाना,

(ix) एफ0पी0ओ0 के अन्तर्गत कृषकों का सम्मिलित रूप से क्षेत्रफल,

(x) एफ0पी0ओ0 द्वारा स्वयं एवं निर्यातकों के माध्यम से निर्यात किया जाना,

(xi) कृषि उत्पादक संगठनों द्वारा ब्रांडिंग/पैकेजिंग कर के उत्पादक को बाजार में बेचना,

(xii) एफ0पी0ओ0 के पास उपलब्ध कुल पूंजी जो सदस्यों द्वारा जमा कराई गई हो,

(xiii) विभिन्न केन्द्र तथा राज्य योजना से प्राप्त इक्विटी ग्राण्ट,

(xiv) एफ0पी0ओ0 द्वारा गत 2 वित्तीय वर्षो में औसत अर्जित लाभ,

(xv) संगठन द्वारा निजी सेक्टर के साथ मूल्य संवंर्धन/निर्यात अथवा कृषक उत्पाद के सीधे विपणन हेतु किए गए समझौते।

7. उपरोक्तानुसार रैंकिंग के विस्तृत मानक शासनादेश के साथ संलग्न है। इस प्रणाली के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभव व हित धारकों के सुझावों के आधार पर मानकों/क्राइटेरिया में आवश्यकतानुसार संशोधन/सुधार भी भविष्य में किया जाएगा।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त समस्त जानकारियों को एफ0पी0ओ0 शक्ति पोर्टल पर अपलोड करने का प्राथमिक दायित्व संबंधित कृषक उत्पादक संगठनों का ही होगा, जिसके सत्यापन का कार्य उप कृषि निदेशक द्वारा किया जाएगा। इसके लिए संबंधित संगठनों तथा उप कृषि निदेशक को यूजरनेम/पासवर्ड उपलब्ध करा दिया गया है। जो एफ0पी0ओ0 इस जानकारी को निर्धारित समय में उपलब्ध करायेंगे, उन्हे निष्क्रिय मानते हुए पोर्टल में तद्नुसार ही रैंकिंग दे दी जायेगी। नोटिस देने के पश्चात पोर्टल से पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा।

9. उपरोक्त रैंकिंग जिस वर्ष की परफॉर्मेंस के आधार पर मूल्यांकन किया जाना है, उक्त के अगले वर्ष के 30 सितम्बर तक रैंकिंग का समस्त विवरण पोर्टल पर उपलब्ध कराते हुए उसको 31 अक्टूबर तक संबंधित उप कृषि निदेशक द्वारा उसका सत्यापन भी करा देना होगा, जिससे 30 नवम्बर तक उनकी रैंकिंग तथा मूल्यांकन करते हुए उसको प्रसारित किया जा सके।

10. वित्तीय वर्ष 2021-22 के डाटा अपलोड करने की कार्यवाही 31 जनवरी, 2023 तक तथा सत्यापन करने की कार्यवाही 20 फरवरी, 2023 तक करा ली जाये। यदि डाटा में कोई त्रुटि हुई है तो उसके सुधार का अवसर प्रदान करते हुए 31 मार्च, 2023 तक सभी कार्यवाही पूर्ण करायी जाए। साथ में इन सबके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करायी जाये, जिससे एफ0पी0ओ0 उसके सन्दर्भ में कुशलता के साथ अपने विवरण डाल सकें।

11. रैंकिंग करने के पश्चात संबंधित कृषक उत्पादक संगठन को उनके मूल्यांकन का पूर्ण विवरण उपलब्ध करा दिया जाएगा और 2 सप्ताह का समय दिया जाएगा कि वह इस संबंध में अपनी कोई आपत्ति देना चाहते हों अथवा आंकड़ों का सुधार करना चाहते हों तो उसकी जानकारी दे सकते हैं और उसके पश्चात उसको अंतिम करते हुए प्रसारित किया जाएगा। समस्त एफ0पी0ओ0 की रैंकिंग किन आंकड़ों के आधार पर मूल्यांकित की गई है इसका विवरण भी पोर्टल पर होगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी।

12. अत: यह अपेक्षा है कि इस व्यवस्था का प्रचार-प्रसार संबधित एफ0पी0ओ0 के मध्य राज्य, मण्डल तथा जिला स्तर पर बैठक/वेबीनार के माध्यम से कराया जाए तथा निर्धारित समयावधि में एफ0पी0ओ0 पोर्टल पर समस्त जानकारी अनिवार्य रूप से अद्यावधिक कर दिया जाए, जिससे रैंकिंग को समय से प्रसारित किया जा सके।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

भवदीय,
डॉ0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:103/2022/1901(1)/12-2-2022 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,
डॉ0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या:103/2022/1901/12-2-2022-01/2019 टी.सी.1 दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 का संलग्नक

पूर्ण स्कोर के आधार पर ग्रेडिंग प्रणाली 1) 86 and above: A 2) 71-85: B 3) 56-70:C 4) 40-55 D						
क्र0सं0	प्रश्न	पूर्ण स्कोर	उत्तर कैसे दें?	अंक मापदंड	अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण	यदि मैन्युअल सत्यापन की आवश्यकता है?
1	कृषक उत्पादक कंपनी (एफ0पी0ओ0) का नाम		स्वत: पूर्ण हो जाएगा			नहीं
2	जनपद का नाम (जहाँ एफ0पी0ओ0 गठित हुई)		स्वत: पूर्ण हो जाएगा			नहीं
3	कंपनी पंजीकरण संख्या		स्वत: पूर्ण हो जाएगा			नहीं
4	कंपनी के निगमन (इनकार्पोरेशन) की तिथि		स्वत: पूर्ण हो जाएगा			नहीं
5	अधिनियम जिसके तहत एफपीसी पंजीकृत है		स्वत: पूर्ण हो जाएगा			नहीं
6	एजेंसी का नाम जिसके अन्तर्गत एफ0पी0ओ0 का गठन किया गया		स्वत: पूर्ण हो जाएगा			नहीं
7	एफ0पी0ओ0 के निदेशक मंडल की संख्या (कृपया नाम, लिंग, संख्या और ई-मेल		स्वत: पूर्ण हो जाएगा			नहीं

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	आईडी अपलोड करें)					
7a	एफ0पी0ओ0 निदेशक मंडल में महिला सदस्यों की संख्या	5	स्वत: पूर्ण हो जाएगा	2 महिला सदस्य-2 अंक 3 महिला सदस्य-3 अंक 4 महिला सदस्य-4 अंक 5 महिला सदस्य-5 अंक		नहीं
8	एफ0पी0ओ0 अन्तर्गत कुंल पंजीकृत सदस्य किसानो की संख्या	5	स्वत: पूर्ण हो जाएगा	100-200 सदस्य-1 अंक 201-300 सदस्य-2 अंक 301-400 सदस्य-3 अंक 401-500 सदस्य-4 अंक 501 सदस्य और उससे अधिक-5 अंक		नहीं
9	पंजीकृत सदस्यों में महिलाओं का प्रतिशत	5	स्वत: पूर्ण हो जाएगा	10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत-1 अंक 21 प्रतिशत से 30 प्रतिशत-2 अंक 31प्रतिशत से 40 प्रतिशत-4 अंक 41 प्रतिशत और उससे अधिक-5 अंक		नहीं
10	क्या वित्तीय वर्ष में शेयरधारकों को एफ0पी0ओ0 द्वारा लाभांश प्राप्त होता है?	5	हॉ/नहीं	हॉ=5 अंक; नहीं=0 अंक		हॉ
11	क्य एफ0पी0ओ0 द्वारा वार्षिक रिटर्न दाखिल किया जाता है? (डीपीटी 3 फॉर्म अंतर्गत)	5	हॉ/नहीं	हर साल 30 जून से पहले: हॉ/नहीं	इसका समर्थन करने वाले दस्तावेज को सबूत के रूप में आवश्यक है	हॉ
12	दी गयी सूची के अनुसार एफ0पी0ओ0 के पास कुल उपलब्ध लाइसेंसों की संख्या	10	स्वत: पूर्ण हो जाएगा	(लाईसेंस- 1. उर्वरक, 2. बीज, 3.कृषि रक्षा रसायन, 4. ई-नाम पंजीकरण, 5. मंडी लाइसेंस, 6. एफएसएसआई लाइसेंस, 7. जैविक प्रमाणन)		नहीं

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

				सभी 7 या अधिक लाइसेंस= 10 अंक कोई भी 6 लाइसेंस =8 अंक कोई 5 लाइसेंस=6 अंक कोई 4 लाइसेंस=4 अंक कोई 3 लाइसेंस =3 अंक कोई 2 लाइसेंस=2 अंक कोई 1 लाइसेंस=1 अंक		
13	क्या एफ0पी0ओ0 अन्तर्गत कोई मूल्यवर्धन/खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित की गई है?	5	1. नहीं 2. हॉ, निर्माणाधीन/लागू 3. हॉ, स्थापित/अनुमोदन प्राप्त हुआ 4. हॉ, प्रोड्क्शन/प्रोसेसिंग शुरू हो गई है	निर्माणधीन/आवेदित-2 अंक स्थापित/अनुमोदन प्राप्त-3 अंक उत्पादन/प्रसंस्करण शुरू-5 अंक	इकाई/प्रणालियों का चित्र और विस्तृत विवरण	हॉ
14	क्या एफ0पी0ओ0 द्वारा एआईएफ (AIF) योजना अन्तर्गत आवेदन किया गया है अथवा संबंधित अनुमोदन प्राप्त किया है या परियोजना पूरी की है?	5	1. नहीं 2. हॉ, लागू 3. हॉ, स्वीकृति मिली 4. हॉ, पूर्ण परियोजना	एप्लाइड-2 अंक स्वीकृत स्वीकृति- 3 अंक पूर्ण परियोजना-5 अंक	आवेदन की तस्वीर	हॉ
15	एफ0पी0ओ0 अन्तर्गत सदस्य किसानों का कुल कृषि क्षेत्रफल	5	1. 400 हेक्टेयर से ऊपर 2. > 300-400 हेक्टेयर 3. > 200-300 हेक्टेयर 4. > 100-200 हेक्टेयर 5. > 50-100 हेक्टेयर 6. 50 हेक्टेयर	400 हेक्टेयर से ऊपर- 5 अंक >300-400 हेक्टेयर-4 अंक >200-300 हेक्टेयर-3 अंक >100-200 हेक्टेयर-2 अंक >50-100 हेक्टेयर-1 अंक		नहीं।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

			से कम			
16	क्या एफ0पी0ओ0 द्वारा यू0पी0 एफ0 पी0ओ0 शक्ति पोर्टल वर्तमान सीजन तक अपडेट कर दिया गया है?	5	हॉ/नहीं	हॉ = 5 अंक; नहीं = 0 अंक		नहीं
17	क्या एफ0पी0ओ0 अन्तर्गत पिछले एक वर्ष में किसी उत्पाद की ब्रांडिंग कर बाजार में बेचा गया?	10	1. नहीं 2. हॉ, एक उत्पाद ब्रांडेड है 3. हां, दो से पांच उत्पाद ब्रांडेड होते हैं 4. हॉ, पांच से अधिक उत्पाद ब्रांडेड हैं	पांच उत्पादों से ऊपर ब्रांडेड हैं-10 अंक दो से पांच उत्पाद ब्रांडेड होते हैं-8 अंक एक उत्पाद ब्रांडेड-5 अंक	उत्पादों का विस्तृत विवरण, चित्र जो स्पष्ट रूप से कंपनी का नाम दिखाते हैं	हॉ
18	क्या एफ0पी0ओ0 द्वारा पिछले एक वर्ष में किसी उत्पाद का निर्यात किया गया?	10	हॉ/नहीं	हां=10 अंक; नहीं = 0 अंक	उत्पादों का विस्तृत विवरण, चित्र जो स्पष्ट रूप से कंपनी का नाम, बैंक खाता विवरण, समझौता ज्ञापन/एलओआई, चालान दिखाते हैं	हॉ
19	एफ0पी0ओ0 की कुल पूंजी (पेडअप कैपिटल)	5	1. 2 लाख से कम 2. 2-3 लाख 3. > 3-5 लाख 4. 5 लाख से ऊपर	5 लाख से ऊपर- 5 अंक >3-5 लाख-3 अंक 2-3 लाख- 1 अंक	बैलेंस शीट	हॉ
20	एफ0पी0ओ0 का कुल वार्षिक कारोबार (टनओवर)	10	1. 1 करोड़ से ऊपर 2. > 75 लाख-1 करोड़ 3. > 50 लाख-75 लाख 4. > 25 लाख -	1 करोड़ से ऊपर- 10 अंक >75 लाख-1करोड़- 8 अंक > 50 लाख-75 लाख-6 अंक > 25 लाख-50 लाख-4 अंक	बैलेंस शीट	हॉ

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

			50 लाख 5. 5 लाख-25 लाख 6. 5 लाख से कम	5 लाख-25 लाख- 2 अंक		
21	एफ0पी0ओ0 द्वारा गत दो वित्तीय वर्षो में अर्जित वार्षिक लाभ (न्यूनतम 3 लाख)	10	1. 25 लाख से ऊपर 2. > 20-25 लाख 3. >15-20 लाख 4. > 10-15 लाख 5. 5-10 लाख 6. 3-5 लाख	25 लाख से ऊपर-10 अंक >20-25 लाख- 8 अंक > 15-20 लाख- 6 अंक > 10-15 लाख- 4 अंक 5-10 लाख-2 अंक	बैलेंस शीट	हॉ
योग		100				

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।